आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।

पत्रांक : 1709/बी.एफ.टी./03/05-06 दिनांक 16.12.11.....

प्रेषक

सहायक अभियन्ता (भवन),
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

सेवा में,

श्री दिनेश कुमार वर्मा,
आयुशी शैल्टर्स प्रा0लि0,
नि0-ग्राम चमरौली, आगरा।

विषयः - **खसरा सं0-4, आगरा पर प्रस्तुत संशोधित विन्यास मानचित्र के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपको सूचित किया जाता है कि उक्त खसरा नम्बर का सशोधित विन्यास मानचित्र उपाध्यक्ष महोदय के आदेश **दिनांक 15.12.11** के अंतर्गत संदर्भित औपचारिकताओं की पूर्ति की दशा में आप द्वारा प्रस्तुत विन्यास मानचित्र स्वीकृति हेतु विचाराधीन है। अतः निम्नलिखित औपचारिकतायें 15 दिन में पूर्ण कराते हुए विकास कार्यों हेतु अनुबंध निष्पादित करा लें :-

1. आवेदक/समिति को आंतरिक विकास कार्य संशोधित विन्यास मानचित्र द्वारा तैयार किये गये आंगणन के अनुसार कराना होगा तथा लागत के 50% भूखण्ड बंधक रखने होंगे, जो विकास कार्यों की पूर्णता के अनुपात में ही अवमुक्त हो सकेंगे।
2. बाह्य विकास शुल्क **रु. 42,39680.00** छैः छमाही किस्तो में 12 प्रतिशत ब्याज सहित जमा करनी होगी। पूर्व में जमा धनराशि समायोजित कर ली जायेगी।
3. निरीक्षण शुल्क **रु. 1,76,440.00** प्राधिकरण कोष में एकमुश्त जमा कराना होगा।
4. लैण्डफिल साइट तथा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हेतु प्राधिकरण द्वारा मांगे जाने पर निर्धारित धनराशि जमा करानी होगी, का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा। विकास शुल्क में यदि कोई वृद्धि होती है तो मांग करने पर धनराशि जमा करानी होगी।
5. पेयजल, सीवर ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट, ड्रेनेज की समुचित व्यवस्था करनी होगी। बाह्य विकास की सुविधायें उपलब्ध होने से पूर्व जल/मल निस्तारण कार्य पक्ष द्वारा इस प्रकार किया जायेगा, जिससे ग्राउण्ड वाटर प्रदूषित न हो तथा एस.टी.पी. प्लान प्रस्तुत करने होंगे।
6. कॉलोनी के अंदर विकास कार्य प्रारंभ किये जाते समय वृक्षारोपण शासनादेश के अनुसार करना होगा जिसमें वृक्षों की ऊँचाई न्यूनतम 12 फुट होगी।
7. भूखण्डों के सम्मुख सड़क एवं नाली के निर्माण के उपरांत ही पृथक् रूप से एकल मानचित्र स्वीकृत किये जायेंगे।
8. यदि भविष्य में कोई शुल्क की देयता पक्ष पर आरोपित की जायेगी तो नियमानुसार भुगतान करना होगा।
9. विकास के दौरान यदि स्वीकृत प्लान में कोई विचलन है या विचलन किया जाना अभिप्रेत है तो प्रस्तावित विचलन निष्पादित करने से पूर्व प्राधिकरण से अनुज्ञा प्राप्त करनी होगी।
10. भू-स्वामित्व सम्बन्धी वाद विवाद होने अथवा उत्पन्न होने की दशा मे दी गयी स्वीकृत स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

भवदीय

16/12/11

सहायक अभियन्ता (भवन)